[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं०. 15/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सा.का.नि........ (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 684 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) तालिका में, -

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 10घ और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10ङ	अध्याय 99	प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रूपए तक विचारण जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के लिए विचारण प्रभार सम्मिलित है, के प्रति अपने निवासियों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी हस्ती द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं

10 **च**	अध्याय 99	भारत के किसी व्यक्ति के किसी प्रतिष्ठान के द्वारा उसी व्यक्ति के भारत के बाहर के किसी प्रतिष्ठान जिसे आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 8 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार अलग व्यक्ति का प्रतिष्ठान माना जाता हो, को प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	बशर्ते कि आईजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 13 के अनुसार, इस सेवा के प्रदान किए जाने का स्थान भारत के बाहर हो
10**छ**	अध्याय 99	संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय संगठनों के शासकीय कामकाज के लिए संयुक्त राष्ट्र या उस विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा सेवाओं का आयात **स्पष्टीकरण**--इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसे उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होते हैं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10**ज**	अध्याय 99	भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी द्वारा सेवाओं का आयात	कुछ नहीं	भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या उसमें पद स्थापित कैरिय कौंसलीय अधिकारी उनके द्वारा आयातित सेवाओं पर लगाए जाने वाले एकीकृत कर से निम्नलिखित के अध्यधीन छूट के हकदार होंगे,- (i) कि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद

				स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा अनुध्यात यथा अनुबंधित एकीकृत कर से छूट के लिए हकदार होंगे; (ii) कि इन सेवाओं का आयात उक्त विदेशी राजनयिक या कौंसलर पोस्ट के शासकीय प्रयोजन के लिए किया जाता हो; या उक्त राजनयिक एजेंट या कैरियर काउंसलर आफिसर या उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जाता हो; (iii) उस दशा में जब भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा उसे तत्पश्चात् प्रत्याहरण करने का विनिश्चय किया जाता है तो विदेशी राजनयिक या मिशन कौंसलीय पद को ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण को संसूचित किया जाएगा । (iv) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या

				कौंसलीय पद को शासकीय प्रयोजन के लिए या उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उनके कुटुंब के सदस्यों के उपयोग के लिए एकीकृत कर से दी गयी संपूर्ण छूट ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण की तारीख से उपलभ्य नहीं होगा ।";

(घ) क्रम संख्या 11 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11क	शीर्षक 9954	कृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग, या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ङ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में, "घोषित टैरिफ" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 20क के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(छ) क्रम संख्या 20ख के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ज) क्रम संख्या 25 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25क	शीर्षक **9967**	लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

	या शीर्षक **9985**			

(झ) क्रम संख्या 32 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"**32**क	शीर्षम **9971** या शीर्षक **9991**	कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा शासित व्यक्तियोंको कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
32ख	शीर्षक **9971** **or** शीर्षक **9991**	प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ञ) क्रम संख्या 35 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35A	शीर्षक 9971	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ट) क्रम संख्या 37क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में संख्या "37" के पश्चात् "या 41" शब्द और संख्या का समावेश किया जाएगा: -

(ठ) क्रम संख्या 49 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"**49**क	शीर्षक **9983** या शीर्षक **9991**	खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ड) क्रम संख्या 58 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"58क	शीर्षक **9986**	पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा) के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ढ) क्रम संख्या 68क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
"68ख	शीर्षक **9991** या कोई अन्य शीर्षक	ऐक्सेस रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को किसी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा धारको से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का अधिकार सौंपने के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं । *स्पष्टीकरण.* - "खनन पट्टा धारको" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, **1957 (1957** का **67)** की धारा **3 (**ग) या उसके अंतर्गत बने नियमो या राज्य सरकार द्वारा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, **1957 (1957** का **67)** की धारा 15(1) के अन्तःगत बनाये गए नियमो के अंतर्गत खनन पट्टा, खदान पट्टा या लाइसेंस या अन्य खनिज कन्सेशन दिया गया हो ।	शून्य	बशर्ते कि ठेका अवधि की समाप्ति पर, ईआरसीसी राज्य सरकार को एक खाता प्रस्तुत करेगा और प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी पर खनिकों द्वारा जमा जीएसटी की राशि रॉयल्टी एकत्र किए जाने के अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर छूट दी गई जीएसटी से अधिक है और जहां खनिकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की ऐसी राशि छूट दी गई राशि से कम है, तो छूट ऐसी धनराशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की राशि के बराबर हो और जीएसटी रॉयल्टी पर खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी और रॉयल्टी एकत्रीकरण-अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई जीएसटी छूट के बीच अंतर का ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा ।"

(ण) क्रम संख्या 80 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"80A	शीर्षक 9995	निम्नलिखित में लगे हुए, इस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत किसी अनिर्धारित निकाय या किसी गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं,- (i) औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या (ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोन्नयन, प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये (1000/-रू0) की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में विचारण के खिलाफ अपने सदस्यों हेतु ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक बोर्डों द्वारा छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा ।"।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं०.354/13/2018 -टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत अधिसूचना सं0. 9/2017 – एकीकृत कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 70(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत अधिसूचना संख्या 2/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था ।